BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 16 जुलाई 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर चोरी करने के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अनवार पुत्र जुम्मा निवासी मौ0 नरसलघाट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2008 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्रान्तर्गत एक दुकान में नकब लगाकर चोरी करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 24.03.2008 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं-123/2008 धारा- 380 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 18.04.2008 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 16.07.2024 को मा0 न्यायालय ADJ-08/स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अनवार को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर